

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.1  
दिनांक 4 अगस्त, 2014

सेवामें,

श्री तपेश्वर सिंह,  
ग्रा0 और पो0- प्रतापपुर  
जिला- छपरा, शरन-841225  
बिहार

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन

श्री तपेश्वर सिंह, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 29.05.2014 के तहत आवेदन दायर किया है । जिसे श्री वी0 के0 राजन, उप सचिव (ई0) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं ए.43020/01/2014-आर0 टी0 आई0 दिनांक 18.07.2014 के तहत अद्योहस्ताक्षरी को अंतरित किया गया है ।

2. आवेदन की परीक्षा की गई । आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना कार्मिक-3 अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।
3. इस ओदश के विरुद्ध अपील डॉ0 निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-दो), गृह मंत्रालय को कर सकते हैं ।

शांतनु

( शांतनु )

निदेशक (कार्मिक) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी



2309 2933

प्रतिलिपि:-

1. श्री वी0 के0 राजन, उप सचिव (ई0) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, नई दिल्ली।
2. आई.टी.सेल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. मास्टर फोल्डर।

# नी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

क (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

लोक सूचना पदाधिकारी  
(विभाग/कार्यालय)

1009 म...  
30/01/14  
① President's Secretariat  
② M/o External Affairs

कामिक सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम: लक्ष्मण सिंह, उपसचिव (संवर्णित) बिहार विधानसभा
2. पूरा पता: गा० + पो० → प्रतापपुर, जिला → छपरा (सारण) - 841225
3. मांगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में): बिहार

दिनांक 26-05-2014 को श्री नरेंद्र मोदी का भारत के माननीय प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था।

कृपया बतलाया जाय कि इस तरह के समारोह में विदेशी मेहमानों को शामिल होने के लिए क्या प्रावधान है। इस बार उक्त दिनांक को समारोह में खर्च का गैर शोषी का पूर्ण व्यौरा दिया जाय। (मुद्रांक देना पड़ेगा)

कृपया बतलाया जाय कि प्रो. मटल बिहारी राजपूथ एवं अन्य माननीय प्रधानमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में किन-किन विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था, कृपया उसका व्यौरा दिया जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10=रु० रुपये (शब्दों में) दस रुपया का पोस्टल ऑर्डर सैं. - 28F 186988 दिनांक 24-03-2014 तिथि को रसीद सं. आवेदन के साथ सलगन कर दिया है। से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतानदेश सं० दिनांक जो पदाधिकारी के पक्ष में द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में सलगन करता हूँ।

(3) मैंने रुपये का नन जूडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वाञ्छित सर्टिफिकेट को छाया प्रति सलगन है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता: लक्ष्मण सिंह, उपसचिव (संवर्णित) बिहार विधानसभा, गा० + पो० → प्रतापपुर, जिला → छपरा (सारण) - 841225 बिहार

आवेदक का हस्ताक्षर: [Signature]

ई-मेल पता, अगर कोई हो: [Blank]

दूरभाष संख्या: [Blank]

स्थान: प्रतापपुर तिथि: 29.5.14

नोट: गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है। जो लागू नहीं है उसे काट दें।